

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2023/70870/SBL/SAMBHAL/470/CFO
दिनांक : 06-01-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स ANGLIO VEDIC CONVENT SCHOOL ISLAMNAGAR ROAD BEHJOI CHANDAUSI DISTRICT SAMBHAL पता 0, ISLAMNAGAR ROAD BEHJOI, BEHJOI तहसील - CHANDAUSI प्लॉट एरिया 4728.12 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 5288.64 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
EDUCATIONAL BUILDING	3	0	10.80 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स ANGLIO VEDIC CONVENT SCHOOL ISLAMNAGAR ROAD BEHJOI CHANDAUSI DISTRICT SAMBHAL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 09-01-2023 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री VIVEK MAHESHWARI के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 10-01-2023 से 09-01-2026 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स ANGLIO VEDIC CONVENT SCHOOL ISLAMNAGAR ROAD BEHJOI CHANDAUSI DISTRICT SAMBHAL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स ANGLIO VEDIC CONVENT SCHOOL ISLAMNAGAR ROAD BEHJOI CHANDAUSI DISTRICT SAMBHAL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : एफएसएसओ चन्दौसी की आख्या के अनुसार, प्रश्रगत शैक्षिक भवन की अग्निशमन व्यवस्था कार्यशील दशा में पायी गयी तथा प्रश्रगत भवन को शासनादेश सं0 18 CHH PU 8 2022 905 34 2016 TC DATE 07 01 2022. के आधार पर सेट बैक में छूट प्राप्त है जिसके आधार पर प्रमाण पत्र निर्गत है, भवन का सत्ताप्राधिकारी द्वारा अनुमोदन कराया जाना अनिवार्य होगा। भवन में यदि किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण किया जाता है, तो अग्निशमन विभाग से अनुमोदन अनिवार्य होगा तथा एनबीसी 2016 एवं भवन निर्माण तथा विकास उपविधि एवं अन्य सुसंगत नियमों का अनुपालन आवश्यक होगा। स्थापित अग्निशमन व्यवस्था को कार्यशील दशा में रखना तथा संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : 10-01-2023
स्थान : SAMBHAL

Uved's Malwal
MANAGER

ANGLIO VEDIC CONVENT SCHOOL
Islamnagar Road Bahjo (Sambhal)



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

Krishna Kant Ojha

BDE80D5B82F9A790FE3FF488DC912ED060F0ADCD

10-01-2023

For Principal
Principal
Anglo Vedic Convent School
Islamnagar Road Bahjo